22-3-21 पत्रावली आदेशार्थ हेतु पेश हुई। अपील
इन्तकाल नं. 3041 अपीलार्थी की अपील
स्वीकार की जाती है। विरुद्ध निर्णय
प्रकरण के लोअर कोर्ट प्रमाणित
पत्रावली किया जावे। प्रकरण वास्ते
हियरिंग हेतु नम्बर पर दर्ज
रहा बाद तामील प्रतिवादी पेश
अदालत हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)

अपील संख्या :— 01 / 2020

दायर दिनाकं :— 16.01.2020

निर्णय दिनांक :— 22.03.2021

उनवान

मुखराज सिंह गुर्जर पुत्र छाजू गुर्जर निवासी बाणेका बरखेडा तहसील दौसा

(अपीलान्ट)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

2 कन्हैया पुत्र छाजू

3 कमली पत्नि राधेश्याम

4 कुम्हेरसिंह पुत्र हरिसिंह

5 केशन्ता पुत्री राधेश्याम

6 दानसिंह पुत्र प्रताबा

7 नाहरसिंह पुत्र हरिसिंह

8 मूली पत्नि प्रताब

9 राजन्ती पत्नि हरिसिंह

10 लक्षमण पुत्र छाजू

11 शिवलहरी पुत्र राधेश्याम

12 संतोष पुत्री राधेश्याम

13 सरोज पुत्री हरिसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

(5)

14 हरिराम पुत्र राधेश्याम

15 हंसराज पुत्र गजानन्द

16 ग्राम पंचायत बाणे का बरखेड़ा जरिए सचिव ग्राम पंचायत बाणे का बरखेड़ा तहसील दौसा जिला दौसा

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थिति :— 1 श्री मलखान सिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट

2 श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 04.06.1994 ग्राम पंचायत बाणे का बरखेड़ा तहसील दौसा

उक्त अपील प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 10 के पिता छाजू पुत्र रामचन्द्र खातेदार की मृत्यु सन् 1992 में हो गई थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 10 के हक में ग्राम पंचायत बाणे का बरखेडा द्वारा तस्दीक फरमाया गया। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का की जांच एवं गिरदावर हल्का द्वारा अपीलांट के नाम की सही जांच किये बिना मुखराज के स्थान पर पुखराज तस्दीक फरमा दिया गया, जबकि अपीलांट के समस्त दस्तावेजात पहचान—पत्र ,राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक में अपीलांट का नाम मुखराज अंकित है।

अपीलांट के हिस्से की कुछ भूमि दिल्ली बडोदरा हाईवे 148 एन में भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। उक्त भूमि के आये हुए

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

मुआवजे को लेने के लिए आवेदन किया तो अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 141 खसरा नम्बर 1079, 1080,1123, 1126, 1127, 1128, 246, 247, 343, 344, 480, 482, 483, कुल खसरा 13 कुल रकबा 3.36 है0 तन मौजा वाणे का बरखेडा पुखराज पुत्र छाजू नाम अंकित है, जबकि उसके समस्त दस्तावेज में मुखराज सिंह नाम अंकित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी दौसा द्वारा कहा गया कि पहले आप जमाबन्दी में नाम शुद्ध करवाओ, तब आपको मुआवजा दिया जावेगा।

अपीलांट ने अपने राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 69 में अपने अशुद्ध नाम की जानकारी होने पर उक्त अपील निम्नांकित आधारो पर प्रस्तुत की गई :–

अधीनस्त ग्राम पंचायत वाणे का बरखेडा का निर्माण दिनांक 04.06.1994 नियम प्रक्रिया, विधि विरूद्व होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में मृतक छाजू के वारिसान के नामो की सही जांच किये बिना पटवारी, गिरदावर व ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो काबिले निरस्त है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये ही अपीलांट का नाम जमाबन्दी खतौनी में पुखराज पुत्र छाजू गलत दर्ज होने की सूरत में अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज कर जमाबन्दी खतौनी में अपना सही नाम अंकित करवाने हेतु अपील पेश की गई है।

अपीलांट के द्वारा पटवारी हल्का से जमाबन्दी में नकल लेने पर सर्वप्रथम गलत नाम की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपीलांट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल जिला कार्यालय दौसा से दिनांक 13.12.2019 को नकल लेने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है, फिर भी अपील प्रस्तुत करने की देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा योग्य है, जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न किया गया है।

अपीलांट के द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि अपीलाधीन अधीनस्त ग्राम पंचायत वाणे का बरखेडा का नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 04.06.1994 निरस्त फरमावे तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिया जावे कि अपीलांट के अशुद्ध नाम पुखराज के स्थान पर मुखराज सिंह अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट के द्वारा उक्त अपील न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता के द्वारा पावर पेश किया गया। मूल नामान्तरकरण की तलबी जिला अभिलेखागार से की जाकर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्षों के वकीलो की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उभयपक्षो के वकीलो की बहस पर मनन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार करने मे रैस्पोडेन्टस को कोई आपत्ति नही है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की पास बुक में अपीलांट का नाम मुखराज सिंह पुत्र छाजू होना पाया जाता है। अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपीलांट के अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 04.06.1994 ग्राम बाणे का बरखेडा खारिज किया जाता है। तहसीलदार दौसा को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 04.06.1994 को रैमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पुखराज पुत्र छाजू के बजाय मुखराज सिंह पुत्र छाजू दर्ज रिकार्ड किया जावे, पालना हेतु मूल नामान्तरकरण एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार दौसा को भिजवाने की तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner